

एफ. सं. 24(681)/08-सीडीएन

भारत सरकार

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय

भूमि और विकास कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली

प्रेषण सं. 449/09/सीडीएन  
09

दिनांक 12 नवंबर,

### **कार्यालय आदेश सं. 15/2009**

विषय:- जिस मामले में पट्टाधारी का केवल वसीयत के आधार पर प्रतिस्थापित संपत्ति में लाइफ इंटरैस्ट है, उसमें लीजहोल्ड अधिकारों का फ्री-होल्ड अधिकारों में अंतरण।

जिस मामले में पट्टाधारी का केवल वसीयत के आधार पर प्रतिस्थापित संपत्ति में लाइफ इंटरैस्ट है, उसमें लीज होल्ड अधिकारों के फ्री-होल्ड अधिकारों में अंतरण के मामले की जांच की जा रही है। विधि मंत्रालय के परीक्षण की टिप्पणियों के आधार पर यह स्पष्ट किया जाता है कि:

(i) वसीयत के अधीन किसी पुरुष/महिला को प्रदत्त सीमित एस्टेट (अर्थात् संपत्ति में केवल लाइफ इंटरैस्ट) को निरपेक्ष स्वामित्व में विस्तारित नहीं किया जाएगा।

(ii) यदि पट्टाधारी जिसका संपत्ति में केवल लाइफ इंटरैस्ट है, संपत्ति में अपने हक का त्याग/समर्पण करता/करती है जिसके फलस्वरूप अगले कानूनी वारिस के नाम पर संपत्ति की विरासत के अंतरण में तेजी आती है तो पट्टाधारी द्वारा अपनी पत्नी/अपने पति के अगले कानूनी वारिस के पक्ष में निष्पादित इस प्रकार के अस्वीकरण/त्याग डीड को प्रतिस्थापन के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

(iii) ऐसे मामलों में, इस प्रकार के कानूनी वारिसों के नाम पर संपत्ति के हस्तांतरण के बाद पट्टे पर की गई संपत्ति को अगले कानूनी वारिस के नाम पर लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में अंतरित किया जा सकता है।

(iv) किसी पुरुष/महिला पट्टाधारी द्वारा संपत्ति में अपने हित को अपनी पत्नी/ पति के अगले कानूनी वारिस के पक्ष में समर्पित करता है तो यह संपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के समान नहीं होगा।

(v) यह विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा अपनी डायरी सं. 302 दिनांक 7.10.09 द्वारा अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,



(सुरेंद्र सिंह)

उप भूमि और विकास अधिकारी

दूरभाष सं. 23061325

वितरण

1. उप भूमि और विकास अधिकारी I/II/III/IV/V/VI/ईओ/एई/बीओ
2. सभी अनुभाग
3. सीडीएन की गार्ड फाइल
4. एनआईसी, एलडीओ की वेबसाइट पर डालने हेतु